न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 127/अ-20(3)/2023-24

आदेश

(दिनांक 23 अक्टूबर 2024 को पारित)

--00--

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आरसीएमएस पोर्टल पर आनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम हटीपुरा तहसील बडौद स्थित की कुल किता 7 कुल भूमि **48.04** हेक्टेयर भूमि में से **38.43** हेक्टेयर भूमि की मांग धिंरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है। ग्राम हटीपुरा की आवेदित भूमि का विवरण निम्नानुसार है।

क्रमांक	सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)	आवेदित रकबा
1	5/2	7.050	7.050
2	225	7.670	6.440
3	8	9.300	9.300
4	5/3	10.600	7.22
5	169	0.400	0.400
6	170	12.420	7.54
7	9	0.600	0.48
	कुल किता 7	**48.04** हेक्टेयर	**38.43** हेक्टेयर

2/ आनलाईन प्राप्त आवेदन की जांच उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद एवं तहसीलदार से करवायी गयी। तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया कि प्रकरण में प्रकरण में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। नियत समयावधि में कोई आपत्ती प्राप्त नहीं। दो समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया ।प्रकरण में दिनांक 11/03/2024 से अधीक्षण यंत्री म. प्र. विद्युत वितरण कंपनी बड़ौद, अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग आगर तथा संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश उज्जैन म. प्र. को अभिमत हेतु, सरपंच सचिव ग्राम पंचायत को ठहराव प्रस्ताव तथा हल्का पटवारी को मौका जांचमय प्रतिवेदन के पेश किये जाने हेतु पत्र जारी किया गया। कार्यालय सहायक यंत्री म. प्र. प. क्षे. वि. वि. कं. लिमि. बड़ौद द्वारा पत्र क्रमांक /स.पं./2024-25/39 बडौद दिनांक 19.04.2024 से अवगत कराया कि ग्राम हटीपुरा तहसील बड़ौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 5/2 रकबा 7.05 हे., 5/3 रकबा 10.60 हे. में से 7.22 हे., 8 रकबा 9.30 हे., 9 रकबा 0.60 हे. में से 0.48 हे., 169 रकबा 0.40 हे., 170 रकबा 12.42 हे. में से 7. 54 हे., 225 रकबा 7.67 है. में से 6.44 हे. भूमि को स्ट्राटा टेक मिनरल रिसोर्सेस प्रा.लि. के द्वारा वन विभाग को आवंटित किये जाने में विदयुत विभाग को कोई आपत्ती नहीं है। संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश तथा अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग आगर-मालवा द्वारा आज दिनांक तक अभिमत प्रदान नहीं किया गया है। मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 की कण्डिका 48 (2) (झ) यथा आवश्यक अन्य विभागों के जिला अधिकारियों से सामान्यतः पंद्रह दिवस की अवधि में अभिमत / परामर्श लिया जाएगा, यदि तीस दिवस में भी कोई अभिमत/परामर्श प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा की उन्हें कोई आपत्ती नहीं है।अतः कण्डिका अनुसार उक्त विभागों को कोई आपत्ती नहीं है। कार्यालय वनपरिक्षेत्र अधिकारी आगर-मालवा वनमंडल शाजापुर म.प्र. द्वारा पत्र क्रमांक 2024/642 आगर मालवा दिनांक 20.04.2024 से तहसील बड़ौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक **5/2** रकबा **7.05** हे.. **5/3** रकबा **10.60** हे. में से **7.22** हे., **8** रकबा **9.30** हे., **9** रकबा **0.60** हे. में से **0.48** हे., **169** रकबा **0.40** हे., **170** रकबा **12.42** है. में से **7.54** हे., **225** रकबा **7.67** हे. में से **6.44** हे. कुल किता **07** कुल रकबा **38.43** हे. भूमि को स्ट्राटेक मिनरल रिसोर्सेस प्रा. लि. द्वारा वन विभाग को आवंटित

किये जाने में वन विभाग को कोई आपत्ती नहीं है। ग्राम पंचायत झलारा बडौद द्वारा दिनांक **08.06.2024** द्वारा पत्र प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम पंचायत झलारा बडौद में गौ शाला संचालित हो रही है। गौ शाला होने के कारण गायों को चरने के लिए पर्याप्त भूमि की आवश्यकता होती है। अतः ग्राम पंचायत कोई भूमि संबंधित आवेदक को देने के पक्ष में नहीं है। प्रकरण में पटवारी ग्राम हटीपुरा के द्वारा रिपोर्ट (प्रारूप-**5**) में जानकारी की पूर्ति की गई। ग्रांम हटीपुरा की मिसल बंदोबस्त में गोचर भूमि का कुल रकबा **42.91** हे. भूमि दर्ज होकर सुरक्षित थी, बंदोबस्त वर्ष **1994** से वर्तमान वर्ष तक समय समय पर हुए राजस्व रिकार्ड अध्यतन पश्चात मात्र एक सर्वे नंबर **5/3** कुल रकबा **10.60** हे. भूमि वर्ष **2023-24** की खसरा जिल्द राजस्व रिकार्ड में उल्लेखित होकर प्रदर्शित हो रही है। यह कि ग्राम हटीपुरा के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में निस्तार गोचर भूमि का कुल रकबा **10.60** हे. प्रदर्शित है। ग्राम हटीपुरा की वर्ष **2023-24** खसरा जिल्द में ग्राम का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल **353.63** हे. दर्ज है। जिस मान से **2** प्रतिशत **7.07** हे. होता है। यह कि आवेदित सर्वे नंबरान में सर्वे नंबर **5/3** रकबा **10.60** हे. में से **7.22** हे. भूमि यदि वन विभाग को आवंटन होती है तो तद़ोपरांत ग्राम में केवल **3.38** हे. भूमि गोचर शेष रह जाएगी, जो कि गोचर भूमि के न्यूनतम **2** प्रतिशत रकबा **7.07** हे. से कम होगी अर्थात उक्त सर्वे नंबर के आवंटन से गोचर भूमि का रकबा प्रभावित होगा। यह कि सर्वे नंबर **5/2** व **5/3** का रकबा अंतिम हस्तलिखित खसरा नकल व वर्तमान कम्प्युटरीकृत खसरा नकल में परस्पर विनिमय अथवा एक दूसरे से परिवर्तित होकर प्रदर्शित है, अर्थात अंतिम हस्तलिखित खसरा नक्कल **2009-14** की खसरा नकल में सर्वे नंबर **5/2** का रक10.60 है. व सर्वे नंबर 5/3 का रकबा 7.05 है. प्रदर्शित है तथा वर्तमान कम्प्युटरीकृत खसरा नकल में सर्वे नंबर 5/2 का रकबा 7.05 है. व सर्वे नंबर 5/3 का रकबा 10.60 हे. प्रदर्शित है। अतः आवेदित सर्वे नंबरान 5/3 रकबा 10.60 हे. (गोचर का रकबा प्रभावित होने से), सर्वे नंबर 9 रकबा 0.60 हे. (गौठान), सर्वे नंबर 169 रकबा 0.40 हे. (खलिहान), निस्तार की भूमि होने से तथा सर्वे नंबर 225 रकबा 7.67 है. (खेल मैदान हेतु) तथा सर्वे क्रमांक 5/2 रकबा 7.05 हे. (रकबा त्रुटी होनें से) भूमि को छोंडकर इसके अतिरिक्त शेष आवेदित सर्वे क्रमांक 8 रकबा 9.30 हे. सर्वे क्रमांक 170 रकबा 12.42 हे. में से 7.54 है. कुल किता 02 कुल रकबा 16.84 हे. भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किया जाना उचित प्रतिवेदित किया है। प्रीमियम राशि गणना प्रपत्र अनुसार ग्राम हटीपुरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 8 रकबा 9.30 हे., सर्वे क्रमांक 170 रकबा 12.42 हे. में से 7.54 है. कुल किता 02 कुल रकबा 16.84 हे. भूमि का कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2024-25 के अनुसार ग्राम हटीपुरा की सिंचित भूमि 10,19,200 अक्षरी दस लाख उन्नीस हजार दो सौ प्रति हेक्टेयर के मान से दी जा रही भूमि का बाजार मूल्य मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-6-101/2019/ सात-3 के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण 2,74,61,325/- अक्षरी (दो करोड चोहत्तर लाख इकसठ हजार तीन सौ पच्चीस रूपये) होता है। तहसीलदार तहसील बडौद द्वारा ग्राम हटीपुरा तहसील बडौद की आवेदित भूमि में से सर्वे नंबरान 5/3 रकबा 10.60 हे. (गोचर का रकवा प्रभावित होने से), सर्वे नंबर 9 रकबा 0.60 हे. (गौठान), सर्वे नंबर 169 रकबा 0.40 हे. (खलिहान), निस्तार की भूमि होने से एवं सर्वे नंबर 225 रकबा 7.67 हे. (खेल मैदान हेतु) तथा सर्वे क्रमांक 5/2 रकबा 7.05 हे. (रकबा त्रुटी होने से) भूमि को छोडकर इसके अतिरिक्त शेष आवेदित सर्वे क्रमांक 8 रकबा 9.30 हे., सर्वे क्रमांक 170 रकबा 12.42 हे. में से 7.54 हे. कुल किता 02 कुल रकबा 16.84 हे. भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने प्रतिवेदन उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद को प्रेषित किया गया। उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद ने तहसीलदार बडौद के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

3/ जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 07.10.2024 . को आयोजित की गयी। समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिसमें ग्राम हटीपुरा तहसील बडौद की आवेदित भूमि में से सर्वे क्रमांक 8 रकबा 9.30 हे., सर्वे क्रमांक 170 रकबा 12.42 हे. में से 7.54 हे. कुल किता 02 कुल रकबा 16.84 हे. भूमि को धिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

प्रकरण क्रमांक127/अ-20(3)/2023-24

-/ ग्राम पंचायत झलारा द्वारा उनके पत्र दिनांक 08.06.2024 से आपत्ति आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। आपत्ति आवेदन का अवलोकन किया गया । ग्राम पंचायत द्वारा अपने आपत्ति में ऐसा कोई ठोस कारण नहीं है जिससें की सहमत हुआ जा सकें अत: ग्राम पंचायत द्वारा ली गयी आपत्ति निराधार होने से निरस्त की जाती है।

5/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया । प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 07.10.2024 में भूमि आवंटन की अनुशंसा किये जाने, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) आगर-बडौद एवं तहसीलदार प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम हटीपुरा तहसील बडौद की आवेदित भूमि में से आवेदित सर्वे क्रमांक 8 रकबा 9.30 हे., सर्वे क्रमांक 170 रकबा 12.42 हे. में से 7.54 हे. कुल किता 02 कुल रकबा 16.84 हे. भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधान के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु **वन विभाग को** मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 8 (7) के प्रावधान के तहत प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 6-101/2019/सात-3 दिनांक 05.01.2021 के अनुसार ग्राम हटीपुरा तहसील बडौद स्थित कुल किता 2 कुल रकबा 16.84 हे. हेक्टेयर पर परिपत्र के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण निर्धारण 2,74,61,325/- अक्षरी दो करोड चोहत्तर लाख इकसठ हजार तीन सौ पच्चीस रूपये जमा किये जाने की शर्त पर निम्नानुसार शर्तो के साथ हस्तांतरित की जाती है :-

1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी ।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आबंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा ।
3. भूमि का उपयोग **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेंगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेंगा।
4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संर्वधन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होंगा ।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत हो जावेंगा।

6/ तहसीलदार बडौद, की ओर आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि के संबंध निर्धारित राशि जमा किये जाने के उपरांत ही प्रविष्टि अभिलेख में अंकित करावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें ।

22/10/24

(राघवेन्द्र सिंह)
कलेक्टर
कलेक्टर
जिला आगर-मालवा (म.प्र.)
जिला आगर मालवा म.प्र.

क्रमांक/रीडर/2024/3776
प्रतिलिपि :-

आगर मालवा, दिनांक 22 /10/2024

1. वनमंण्डलाधिकारी वनमण्डल शाजापुर की ओर सूचनार्थ ।
2. उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) आगर-बडौद।
3. प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ ।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला आगर मालवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. तहसीलदार बडौद, की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल निर्धारित राशि जमा कराये जाने के उपरांत किया जावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें ।

22/10/24

कलेक्टर
कलेक्टर
जिला आगर मालवा म.प्र.
जिला आगर-मालवा (म.प्र.)

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:हटीपुरा			पटवारी हल्का:झलारा बडौद			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1010849062 81QUCHD8ZR7KH0	8 (S)		9.3000 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0127/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 22/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:हटीपुरा			पटवारी हल्का:झलारा बडौद			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1605690786 81QSKDD8ZQTEH0	170/1 (S)		7.5400 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0127/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 22/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट